

मूल वाद में डिग्री
(व्य०प्र०सं० के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
लय-उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
बईजलास- श्री मांगीलाल रेगर, आर०ए०एस०,
केम्प आक्या

सोनम पुत्री स्व. किशन जाति हरिजन(छपरीबन्द) वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर हा०मु०प्रकाश कल्भोर चाल निगडी , मारुति मंदिरा, पाठीमागे, निगडी पुणे(महाराष्ट्र)
आशा पत्नि स्व. किशन जाति हरिजन(छपरीबन्द) वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर हा०मु०प्रकाश कल्भोर चाल निगडी , मारुति मंदिरा, पाठीमागे, निगडी पुणे(महाराष्ट्र)

.....वादीगण

॥ बनाम ॥

शांति पिता नारायण हरिजन वयस्क निवासी वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर
मदनलाल पिता नारायण हरिजन वयस्क निवासी हाउसिंग बोर्ड सेगवा तहसील चित्तौडगढ़
सरकार जरिये तहसीलदार साहब,भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 रा० का० अधि० 1955
प्रकरण संख्या 35 / 2018

की ओर से वकील श्री रईस मोहम्मद एवं प्रतिवादीगण की ओर से - की उपस्थिति में इस
को आज राजस्व लोक अदालत केम्प आक्या पर दिनांक 28-05-2018 को न्यायालय के समक्ष
पटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण आंशिक डिग्री किया जाता है वादीगण की मौजा मावरा
खाता संख्या 76 में अंकित वादी संख्या संख्या 1 सोनू पुत्री किशन हरिजन ना०बा०स० माता आशा
स्थान पर सोनू उर्फ सोनम पुत्री किशन हरिजन अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा
ना०बा० की प्रविष्टि विलोपित की जावे । इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद जावे शेष
न्द्राज पूर्ववत् रहेगे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 28-05-2018 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।



(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर